



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-28092020-222068
CG-JH-E-28092020-222068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/ आश्विन 6, 1942
No. 10]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 14 सितम्बर, 2020

सं. एस-25016/01/08-विधि(मु0).—मैं प्रभात कुमार, जो मुख्य खान निरीक्षक के रूप में पदाभिहित हूँ, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 75 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों के आधार पर और इस विषय पर पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, इस निदेशालय के सभी अधिकारियों को, जो मुख्य खान निरीक्षक के अधीनस्थ हैं और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, उनको सम्बन्धित निरीक्षक अधिकारिता के भीतर जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन घोषित की गई है किसी भी खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने के लिए साधारण प्राधिकृत करता हूँ।

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 14th September, 2020

No. S-25016/01/08-Law(HQ).—I, Prabhat Kumar, Chief Inspector of Mines, by virtue of powers conferred on me under Section 75 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of all the notifications published earlier in the Gazette of India on the subject, do hereby, generally authorize all officers of this Directorate who are sub-ordinate to the Chief Inspector of Mines and who are appointed as Inspectors of Mines under Sub-Section (1) of the Section 5 of the said Act, to institute prosecutions for any offence under the said Act, against the owner, agent or manager of any mine situated within their respective Inspection Jurisdiction as declared under Sub-Section (3) of Section 6 of the said Act.

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines